



भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

फैक्स Fax : 0172-2604671
दूरभाषकार्यालय : 0172-2602607
Telephone Office : 0172-2602607
Email : phc.gdc soi@gov.in



भारतीय सर्वेक्षण विभाग
SURVEY OF INDIA
पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एवं चण्डीगढ़
भू-स्थानिक निदेशालय, चण्डीगढ़।
PUNJAB, HARYANA, HIMACHAL PRADESH &
CHANDIGARH
GEO- SPATIAL DIRECTORATE
सेक्टर 32-ए, चण्डीगढ़ - 160030
Sector 32 - A, Chandigarh - 160030

सं. प्रशा.-5919/37-जी-9

दिनांक:- 06 सितम्बर, 2024

पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एवं चण्डीगढ़, भू-स्थानिक निदेशालय
का नेमी आदेश सं. 10 दिनांक:- 06-09-2024
Punjab, Haryana, Himachal Pradesh & Chandigarh Geo-Spatial
Directorate
Routine Order No. 10 Dated 06 -09-2024

1. **(क) सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना (ए.सी.पी. स्कीम) :-**

मूल आवेदन सं.-1667/2019 के संबंध में माननीय कैंट, प्रिंसिपल बैच, नई दिल्ली के दिनांक 02-02-2023 तथा माननीय उच्च न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 01-03-2024 व मंत्रालय के पत्र सं. SM/04/04/2020 दिनांक 17-05-2024 के अन्तर्गत प्राप्त निर्देशों के अनुसरण में भारतीय सर्वेक्षण विभाग के अधिकारी सर्वेक्षकों के संवर्ग में पूर्व में प्रदान की गई एम.ए.सी.पी. को रिव्यू (Review) किया गया तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के पत्र सं0ए-11019/1/2008-सी0डी0एन0 दिनांक 08-06-2009 के अन्तर्गत प्राप्त कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन सं0जी0-35034/3/2008-स्था0(डी) दिनांक 19-05-2009 में निहित अनुदेशों के अनुसार एम0ए0सी0पी0 योजना के अन्तर्गत पी0बी0-2 रुपये 9,300-34,800+ग्रेड पे रुपये 4800 में प्रदान किये गये द्वितीय वित्तीय उन्नयन को संशोधन करते हुए निम्नलिखित अधिकारी के नाम के सम्मुख दर्शायी गयी तिथि के अनुसार केन्द्रीय सरकार के सिविल कर्मचारियों हेतु ए0सी0पी0 योजना के अन्तर्गत 10,000-325-15,200/- रुपये के वेतनमान में द्वितीय वित्तीय उन्नयन प्रदान किया जाता है:-

क्रम सं.	नाम व पदनाम	कार्यालय	वेतनमान	द्वितीय ए.सी.पी. प्रदान करने की तिथि
1.	श्री वाई. एस. रावत सुपुत्र स्व. श्री जी. एस. रावत, अधिकारी सर्वेक्षक (सेवानिवृत्त)/ Sh. Y.S. Rawat S/o Late Sh. G.S. Rawat, Officer Surveyor (Retd.)	पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एवं चण्डीगढ़ जी.डी. (पूर्व में हिमाचल प्रदेश जी.डी.सी.) / Punjab, Haryana, Himachal Pradesh & Chandigarh G.D. (Erstwhile Himachal Pradesh GDC)	रुपये 10,000-325- 15,200/-	15-12-2007
(प्राधिकार:- भारत के महासर्वेक्षक के कार्यालय का पत्र सं. सी-2904/1902-ए.सी.पी.-2(ओ.एस.) /संग्रह-12 दिनांक 24-08-2024) (Authority:- Survey General of India office letter No. C-2904/1902-ACP-II				

(OS)/Coll.XII
Dated:- 24-08-2024)

(ख) संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना (एम.ए.सी.पी. स्कीम) :-

मूल आवेदन सं.-1667/2019 के संबंध में माननीय कैट, प्रिंसिपल बैच, नई दिल्ली के दिनांक 02-02-2023 तथा माननीय उच्च न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 01-03-2024 एवं मंत्रालय के पत्र सं. SM/04/04/2020 दिनांक 17-05-2024 के अन्तर्गत प्राप्त निर्देशों के अनुसरण में भारतीय सर्वेक्षण विभाग के अधिकारी सर्वेक्षकों के संवर्ग में पूर्व में प्रदान की गई एम.ए.सी.पी. को रिव्यू (Review) किया गया तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के पत्र सं० ए-11019/ 1/2008-सी०डी०एन० दिनांक 08-06-2009 के अन्तर्गत प्राप्त कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन सं०जी०-35034/3/2008-स्था०(डी) दिनांक 19-05-2009 में निहित अनुदेशों के अनुसार एम०ए०सी०पी० योजना के अन्तर्गत पी०बी०-2 रुपये 9,300-34,800+ग्रेड पे रुपये 5400 में प्रदान किये गये तृतीय वित्तीय उन्नयन को संशोधन करते हुए निम्नलिखित अधिकारी के नाम के सम्मुख दर्शायी गयी तिथि के अनुसार केन्द्रीय सरकार के सिविल कर्मचारियों हेतु एम०ए०सी०पी० योजना के अन्तर्गत पी०बी०-3 रुपये 15,600-39100+ग्रेड पे रुपये 7600/- के वेतनमान में तृतीय वित्तीय उन्नयन प्रदान किया जाता है:-

क्रम सं.	नाम व पदनाम	कार्यालय	वेतनमान	तृतीय एम.ए.सी.पी. प्रदान करने की तिथि
1.	श्री वाई. एस. रावत सुपुत्र स्व. श्री जी. एस. रावत, अधिकारी सर्वेक्षक (सेवानिवृत्त) / Sh. Y.S. Rawat S/o Late Sh. G.S. Rawat, Officer Surveyor (Retd.)	पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एवं चण्डीगढ़ जी.डी.(पूर्व में हिमाचल प्रदेश जी.डी.सी.) / Punjab, Haryana, Himachal Pradesh & Chandigarh G.D. (Erstwhile Himachal Pradesh GDC)	पी०बी०-3 रुपये 15,600-39100+ ग्रेड पे रुपये 7600/-	15-12-2015
<p>(प्राधिकार:- भारत के महासर्वेक्षक के कार्यालय का पत्र सं.सी-2930/1902- एम.ए.सी.पी.-3(OS)/ संग्रह-10 दिनांक 24-08-2024) (Authority:- Survey General of India office letter No. C-2930/1902-MACP-III (OS)/ Coll.X Dated:- 24-08-2024)</p>				

2. (क) सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना (ए.सी.पी. स्कीम) :-

मूल आवेदन सं.-1667/2019 के संबंध में माननीय कैट, प्रिंसिपल बैच, नई दिल्ली के दिनांक 02-02-2023 तथा माननीय उच्च न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 01-03-2024 वं मंत्रालय के पत्र सं. SM/04/04/2020 दिनांक 17-05-2024 के अन्तर्गत प्राप्त निर्देशों के अनुसरण में भारतीय सर्वेक्षण विभाग के अधिकारी सर्वेक्षकों के संवर्ग में पूर्व में प्रदान की गई ए.सी.पी. को रिव्यू (Review) किया गया तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के दिनांक 17-08-1999 के पत्र सं.-1-3/97-सी०डी०एन० के अन्तर्गत प्राप्त कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के दिनांक 09-08-1999 कार्यालय ज्ञापन सं०जी०-35034/1/97-स्था०(डी) में निहित अनुदेशों के अनुसार ए०सी०पी० योजना के अन्तर्गत 6500-200-10500 रुपये के वेतनमान में प्रदान किये गये प्रथम वित्तीय उन्नयन को संशोधन करते हुए निम्नलिखित अधिकारी के नाम के सम्मुख दर्शायी गयी तिथि के अनुसार केन्द्रीय सरकार के सिविल कर्मचारियों हेतु ए०सी०पी० योजना के अन्तर्गत 6500-200-10500 रुपये के वेतनमान में प्रथम वित्तीय उन्नयन प्रदान किया जाता है:-

क्रम सं.	नाम व पदनाम	कार्यालय	वेतनमान	प्रथम ए.सी.पी.

क्रम सं.	नाम व पदनाम	कार्यालय	वेतनमान	प्रदान करने की तिथि
1.	श्री जगमोहन सिंह नेगी सुपुत्र स्व. श्री मंगल सिंह, अधिकारी सर्वेक्षक सेवानिवृत्त / Sh. Jagmohan Sing Negi S/o Late Sh. Mangal Singh, Officer Surveyor (Retd.)	पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एवं चण्डीगढ़ जी.डी.(पूर्व में हिमाचल प्रदेश जी.डी.सी.) / Punjab, Haryana, Himachal Pradesh & Chandigarh G.D. (Erstwhile Himachal Pradesh GDC)	रुपये 6500-200- 10500/-	07-10-1999
(प्राधिकार:- भारत के महासर्वेक्षक के कार्यालय का पत्र सं. सी-2892/1902-ए.सी.पी.(सर्वेक्षक)/ संग्रह-8 दिनांक 24-08-2024) (Authority:- Survey General of India office letter No. 2892/1902-ACP (Surveyor) / Coll.VIII Dated:- 24-08-2024)				

(ख) संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना (एम. ए. सी. पी.स्कीम):-

मूल आवेदन सं.-1667/2019 के संबंध में माननीय कैट, प्रिंसिपल बैच, नई दिल्ली के दिनांक 02-02-2023 तथा माननीय उच्च न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 01-03-2024 एवं मंत्रालय के पत्र सं. SM/04/04/2020 दिनांक 17-05-2024 के अन्तर्गत प्राप्त निर्देशों के अनुसरण में भारतीय सर्वेक्षण विभाग के अधिकारी सर्वेक्षकों के संवर्ग में पूर्व में प्रदान की गई एम.ए.सी.पी. को रिव्यू (Review) किया गया तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के पत्र सं० ए-11019/ 1/2008-सी०डी०एन० दिनांक 08-06-2009 के अन्तर्गत प्राप्त कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय जापन सं०जी०-35034/3/2008-स्था०(डी) दिनांक 19-05-2009 में निहित अनुदेशों के अनुसार एम०ए०सी०पी० योजना के अन्तर्गत पी०बी०-2 रुपये 9,300-34,800+ग्रेड पे रुपये 4800 में प्रदान किये गये द्वितीय वित्तीय उन्नयन को संशोधन करते हुए निम्नलिखित अधिकारी के नाम के सम्मुख दर्शायी गयी तिथि के अनुसार प्रदान किया जाता है:-

क्रम सं.	नाम व पदनाम	कार्यालय	वेतनमान	द्वितीय एम.ए.सी.पी. प्रदान करने की तिथि
1.	श्री जगमोहन सिंह नेगी सुपुत्र स्व. श्री मंगल सिंह, अधिकारी सर्वेक्षक (सेवानिवृत्त) / Sh. Jagmohan Sing Negi S/o Late Sh. Mangal Singh, Officer Surveyor (Retd.)	पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एवं चण्डीगढ़ जी.डी. (पूर्व में हिमाचल प्रदेश जी.डी.सी.) / Punjab, Haryana, Himachal Pradesh & Chandigarh G.D. (Erstwhile Himachal Pradesh GD)	पी०बी०-2 रुपये 9,300- 34,800+ ग्रेड पे रुपये 4800/-	01-09-2008
(प्राधिकार:- भारत के महासर्वेक्षक के कार्यालय का पत्र सं. सी-2918/1902-एम.ए.सी.पी.-2 (OS)/ संग्रह-8 दिनांक 24-08-2024) (Authority:- Survey General of India office letter No. 2918/1902-MACP-II (OS)/Coll.VIII Dated:- 24-08-2024)				

(ग) संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना (एम. ए. सी. पी.स्कीम):-

मूल आवेदन सं.-1667/2019 के संबंध में माननीय कैट, प्रिंसिपल बैच, नई दिल्ली के दिनांक 02-02-2023 तथा माननीय उच्च न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 01-03-2024 एवं मंत्रालय के पत्र सं.

SM/04/04/2020 दिनांक 17-05-2024 के अन्तर्गत प्राप्त निर्देशों के अनुसरण में भारतीय सर्वेक्षण विभाग के अधिकारी सर्वेक्षकों के संवर्ग में पूर्व में प्रदान की गई एम.ए.सी.पी. को रिव्यू (Review) किया गया तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के पत्र सं० ए-11019/1/2008-सी०डी०एन० दिनांक 08-06-2009 के अन्तर्गत प्राप्त कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन सं०जी०-35034/3/2008-स्था०(डी) दिनांक 19-05-2009 में निहित अनुदेशों के अनुसार एम०ए०सी०पी० योजना के अन्तर्गत पे मैट्रिक के लेवल 9/10 में प्रदान किये गये तृतीय वित्तीय उन्नयन को संशोधन करते हुये निम्नलिखित अधिकारी के नाम के सम्मुख दर्शायी गयी तिथि के अनुसार केन्द्रीय सरकार के सिविल कर्मचारियों हेतु एम०ए०सी०पी० योजना के अन्तर्गत पे मैट्रिक के लेवल 10* में तृतीय वित्तीय उन्नयन प्रदान किया जाता है:-

*(In accordance with DST's Instructions issued vide their letter No.SM//04/13/2015 dated 9th November, 2020 endorsed vide this office letter No.J-1794/2158-7th CPC dated 10th November, 2020)

क्रम सं.	नाम व पदनाम	कार्यालय	पे मैट्रिक्स लेवल	तृतीय एम.ए.सी.पी. प्रदान करने की तिथि
1.	श्री जगमोहन सिंह नेगी सुपुत्र स्व. श्री मंगल सिंह, अधिकारी सर्वेक्षक (सेवानिवृत्त)/ Sh. Jagmohan Sing Negi S/o Late Sh. Mangal Singh, Officer Surveyor (Retd.)	पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एवं चण्डीगढ़ जी.डी.(पूर्व में हिमाचल प्रदेश जी.डी.सी.) / Punjab, Haryana, Himachal Pradesh & Chandigarh G.D. (Erstwhile Himachal Pradesh GDC)	लेवल-10*	07-10-2017
<p>(प्राधिकार:- भारत के महासर्वेक्षक के कार्यालय का पत्र सं. सी-2946/1902-MACP-III (OS)/Coll.X दिनांक 24-08-2024)</p> <p>(Authority:- Survey General of India office letter No.C-2946/1902-MACP-III (OS)/Coll.X Dated:- 24-08-2024)</p>				

इस मद पर होने वाला व्यय इस निदेशालय के लिए वर्ष 2024-2025 के लिए स्वीकृत बजट अनुदान में से पूरा किया जाएगा तथा उपयुक्त लेखा शीर्ष के नामें डाला जाएगा।

(संजय कुमार) / (Sanjay Kumar)

निदेशक / Director

पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एवं चण्डीगढ़ जी.डी. /
Punjab, Haryana, Himachal Pradesh & Chandigarh G.D.

I/122433/2024

वितरण:-

1. भारत के महासर्वेक्षक कार्यालय, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित । (ई-मेल)
2. अपर महासर्वेक्षक, उत्तरी क्षेत्र कार्यालय, चण्डीगढ़ को सूचनार्थ प्रेषित । (ई-मेल)
3. प्रभारी विभागीय वेबसाइट को – कृपया यह आदेश “**Routine Orders & Circular**” tab में प्रकाशित करने हेतु । (**admn.soi@gov.in**)
4. वरिष्ठ लेखा अधिकारी, क्षेत्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालय, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित । (ई-मेल)
5. कार्यालय अधीक्षक, आदान अनुभाग को सूचनार्थ ।